

Title: Need for early completion of construction work of Satluj-Yamuna Link Canal project between Haryana and Punjab - Laid.

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण को पूरा करने के संबंध में हाल ही में दिए गए निर्णय ने हरियाणा राज्य के किसान को राहत पहुंचाने में सहायता दी है। गत् ट्रिब्यूनलों आदि के निर्णयों के आधार पर इस परियोजना से हरियाणा को जल उपलब्ध कराने का तय हुआ था। परियोजना का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। पंजाब में भी 75 प्रतिशत परियोजना पूरी कर ली गयी। हरियाणा में भी इसका निर्माण 90 प्रतिशत तक हो गया था किंतु अभी भी इसका निर्माण अधर में लटका है। किंतु, अब न्यायालय के निर्णय ने इस परियोजना के निर्माण पूरा करने में अहम भूमिका की है। पंजाब सरकार के साथ साथ केन्द्र सरकार को भी इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी दी गयी है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस परियोजना के निर्माण कार्य को अविलम्ब पूरा कराकर हरियाणा राज्य के किसानों को न्याय दिलायें।